भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये　Rs. 100

रु. 100　ONE HUNDRED RUPEES

भारत　INDIA NON

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　FL 302392

न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड)

स्टाम्प शुल्क	:	8,00/--रूपये
• संस्था का नाम	:	गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट
• संस्था का पता	:	884, राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़
• कार्य क्षेत्र	:	सम्पूर्ण भारतवर्ष

Nisha Goel

पुष्टि विलेख 52

क्र सं० 187 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ट्रस्ट डीड

नाम गोयल फाउन्डेशन ट्रस्ट

पता

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं० 6

तह० व० हापुड़ जि० हापुड़

आवेदन सं०: 202000340005827

लाईसेन्स की अवधि 31-3-2024

न्यास पत्र

बही सं०: 4	रजिस्ट्रेशन सं०: 20	वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 160 योग : 260

श्रीमती गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा
निशा गोयल अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि,
पुत्री श्री दुलीचन्द सांधी
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: 884 राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड़

Nisha Goel

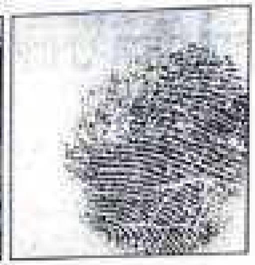

श्रीमती, गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट द्वारा

निशा गोयल अधिकृत
पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 22/05/2020 एवं
12:39:57 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश प्रताप सिंह
उप निबंधक हापुड़ 2
हापुड़
22/05/2020

हापुड़ हापुड़ लिपिक 1
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302393

2

विदित हो कि संस्थापक/अध्यक्ष धनराशि अंकन 10,000/–रूपये के एक मात्र स्वामी व अधिकारी है तथा सामाजिक चेतना, समाज सेवा व शिक्षा के लिये कार्य एवं अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये इस ट्रस्ट की स्थापना की गयी है जिसके निम्न कार्य है:–

- उद्देश्य :
  - शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा बालक, बालिकाओं को शिक्षा देकर सुयोग्य नागरिक बनाना।
  - बालक–बालिकाओं के मानसिक, शारीरिक विकास के लिये खेल–कूद आदि का प्रबन्ध करना तथा उसका संचालन करना।
  - पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला आदि की स्थापना करना तथा उसका संचालन करना आदि।

Nisha Goel

https://igrsup.gov.in/igrsup/...

पुष्टि विलेख 58,59

क्र स0 188 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..............................

नाम..............................

पता..............................

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं0 व0

तह0 व0 हापुड जि0 हापुड

लाईसेन्स नं0 [illegible]5827

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 20 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट के द्वारा निशा गोयल , पुत्री श्री दुलीचन्द सांघी

निवासी: 884 राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड Nisha goel

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

कुमारी निशा गोयल , पुत्री श्री अरुण कुमार गोयल

निवासी: 883 राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड

व्यवसाय: अध्ययन

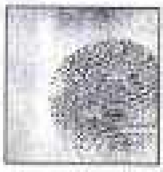

पहचानकर्ता : 2

श्री आयुष गोयल , पुत्र श्री अरुण कुमार गोयल

निवासी: 883 राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड

व्यवसाय: व्यापार

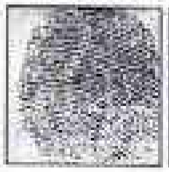

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतःभद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

राकेश प्रताप सिंह

उप निबंधक , हापुड 2

हापुड

हापुड हापुड लिपिक ।

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 MAR 2021

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302394

• प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पद, पते तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है –

क्र.सं.	सदस्य का नाम	पिता का नाम स्थायी पता मो० न०.	पद हस्ताक्षर
1	श्रीमती निशा गोयल 9358333635	श्री दुली चन्द सांघी 884, राजेन्द्र नगर, हापुड़	प्रधान BLPPG9044A
2	श्री पंकज गोयल 8860480048	श्री राघव औतार गोयल सी–241, गौर ग्रीन एवेन्यू अभय खण्ड द्वितीय इन्द्रापुरम गाजियाबाद 201010	सचिव

Nisha Goel

क्र स० 189 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

नाम ....

पता ....

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं० 8

तह० व० हापुड़ जि० हापुड़

लाईसेन्स की अवधि 31-3-2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302395

3	श्री वैभव गोयल 9756202936	श्री विनोद कुमार गोयल 884, राजेन्द्र नगर, हापुड	कोषाध्यक्ष
4	श्री राघव औतार गोयल 9312336369	श्री राम सरन गोयल सी–241, गौर ग्रीन एवेन्यू अभय खण्ड द्वितीय इन्द्रापुरम गाजियाबाद 201010	सदस्य
5	श्रीमती मनीषा सिंहल 9818384790	श्री राघव औतार गोयल बी–704, प्लाट नं.–ई8, आम्रपाली अपार्टमेन्ट, सेक्टर–50, नोएडा	सदस्य

Nisha goel

क्र सं0 190 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2020
स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........................
नाम..........................
पता..........................

प्रदीप त्यागी
स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं0 61
तह0 व0 हापुड़ जि0 हापुड़
लाईसेन्स की अवधि 31-3-2024

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

16 MAR 2021

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302396

6	श्री विनोद कुमार गोयल 9359969279	श्री जगदीश प्रसाद गोयल 884, राजेन्द्र नगर, हापुड़	सदस्य
7	श्रीमति शुभांगी गोयल 8979070019	श्री ज्ञानेन्द्र सिंघल 883, राजेन्द्र नगर, हापुड़	सदस्य

- हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता इस संस्था को उक्त स्मृति–पत्र के अनुसार रजिस्ट्रेशन

  एक्ट 21, सन् 1860 ई0 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराया है।

- संस्था का नाम : गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट
- संस्था का पता : 884, राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़

Nikha goel

क्र सं0 19/192 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................

नाम........................

पता........................

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं0 61

तह0 व0 हापुड़ जि0 हापुड़

लाईसेन्स की अवधि 31-3-2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302397

- कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत
- सदस्यता एवं सदस्यों के वर्ग: संस्था में निम्न प्रकार के सदस्य होंगे –
  - <u>आजीवन सदस्य</u> : वे व्यक्ति होंगे जो संस्था के नियमों में आस्था रखते हों और संस्था को एकमुश्त रु0 5,000/– (रुपये पाँच हजार रुपये) अथवा उतने ही मूल्य की कोई वस्तु दान स्वरूप दें।
  - <u>साधारण सदस्य</u> : वे व्यक्ति होंगे जो संस्था के नियमों में आस्था रखते हों और संस्था के नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हों जिन्हें संस्था को शुल्क रूप में रु0 1000/– (रुपये एक हजार) देना होगा।

Nisha Goel

क्र सं0 192 धनराशि 100 दिनांक 19/5/2020

स्टाम्प क्रयकर्ता का प्रयोजन..............................

नाम..............................

पता..............................

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं0 61

तह0 व0 हापुड़ जि0 हापुड़

लाईसेन्स की अवधि 31-3-2020

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302398

- <u>संस्था के अंग</u> : संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए निम्न दो अंग होंगे –

    1. साधारण सभा   2. प्रबन्धकारिणी समिति

- <u>साधारण सभा का गठन, बैठक, सूचना, कोरम तथा कार्य</u> :
    - उपरोक्त वर्णित दोनों प्रकार के सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।
    - बैठक वर्ष में एक होगी जिसे वार्षिक अधिवेशन कहा जायेगा।
    - बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 15 दिन पूर्व प्रबन्धक द्वारा दी जायेगी
    - बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा।
    - प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारी आजीवन रहेंगे।

Nisha Goel

क्र सं० 93 धनराशि 100 दिनांक 19/3/2010

स्टाम्प [illegible] खरीदने का प्रयोजन ....

नाम ....

पता ....

प्रदीप त्यागी
स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं० 61
तह० व० हापुड़ जि० हापुड़
लाईसेन्स की अवधि 31-3-20..

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

FL 302399

- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रस्तुत नवीन योजनाओं की स्वीकृति देगी तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करेगी।
- समय पर प्रबन्धकारिणी को नियमानुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।

- **<u>प्रबन्धकारिणी समिति का गठन, बैठक, सूचना, कोरम, कार्य तथा कार्यकाल</u> :**

  प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों सहित कुल सदस्य संख्या निम्नलिखित होगी –

  - प्रधान – एक
  - सचिव – एक
  - कोषाध्यक्ष – एक

Nisha Goel

क्र सं0 194 धनराशि 1000 दिनांक 19/3/2020

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

नाम ....

पता ....

प्रदीप त्यागी

स्टाम्प विक्रेता का लाईसेन्स नं0

तह0 व0 हापुड़ जि0 हापुड़

लाईसेन्स की अवधि 31-3-20[illegible]

- शेष सदस्य – चार कुल योग – 7 (सात)
- बैठक वर्ष में तीन होंगी, प्रत्येक बैठक हर चार माह पश्चात हुआ करेंगी।
- बैठक की सूचना प्रबन्धक द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक सप्ताह पूर्व दी जाएगी।
- बैठक का कोरम कुल सदस्य संख्या का 2/3 होगा।
- संस्था के प्रचार प्रसार और उन्नति के लिए नवीन योजनाएं बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना।
- वार्षिक बजट बनाकर साधारण सभा में प्रस्तुत करना तथा उस पर स्वीकृति प्राप्त करना।
- संस्था के कार्य–कलापों पर देख–रेख करना और इस बात की देखभाल रखना कि सभी कार्य संस्था के नियमानुसार होते रहें।

- <u>रिक्त स्थान की पूर्ति</u> :

  किसी कारणवश प्रबन्धकारिणी समिति में यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो प्रधान बहुमत द्वारा साधारण सभा के सदस्यों या मनोनीत व्यक्ति में से पूर्ति कर लेंगे।

- <u>सदस्यता की समाप्ति</u> : निम्न दशाओं में संस्था से सदस्यता समाप्त मानी जायेगी।

Nisha Goel

- पागल हो जाना
- दिवालिया होना या किसी नैतिक अपराध में किसी न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
- संस्था को हानि पहुँचाने पर।

- **पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्तव्य :**

  प्रधान :

  - बैठकों की अध्यक्षता करना।
  - संस्था के कार्य की देखभाल करना तथा आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठक बुलाने के लिए प्रबन्धक को कहना।
  - समान मत होने की स्थिति में अपने निजी मत का प्रयोग कर निर्णय लेना।

  सचिव/प्रबन्धक :

  - संस्था के निर्णयानुसार सभी कार्यों का संचालन करना।
  - संस्था की ओर से सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।
  - बैठकें बुलाना और उनकी कार्यवाही का लिखित विवरण रखना।
  - आय–व्यय का पूर्ण विवरण रखना तथा वर्ष के अन्त में आय–व्यय का लेखा निरीक्षक द्वारा प्रेषित रिपोर्ट सहित गत वर्ष का विवरण एवं आगामी वर्ष का अनुमानित आय–व्यय साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

Nisha Goel

- समिति के कार्यों का निरीक्षण तथा तत्सम्बन्धी व्यवस्था का पूर्ण दायित्व सचिव पर होगा।
- आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए सचिव स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त रु0 200/– तक खर्च कर सकेंगे, जिसकी स्वीकृति समिति की आगामी बैठक में लेनी होगी।
- प्रत्येक कानूनी कार्यवाही सचिव/प्रबन्धक द्वारा ही संपादित की जायेगी जो संस्था से सम्बन्धित हो।

- <u>ऑडिट</u> : वर्ष के अन्त में किसी योग्य ऑडिटर को संस्था द्वारा नियुक्त कर संस्था के आय व्यय का निरीक्षण कराया जायेगा जिसकी रिपोर्ट सचिव/प्रबन्धक के माध्यम से वार्षिक अधिवेशन में प्रस्तुत की जायेगी।
- <u>अदालती कार्यवाही</u> : संस्था से सम्बन्धित पक्ष–विपक्षी की अदालती कार्यवाही सचिव का दायित्व होगा।
- <u>स्थगित बैठक</u> : कोरम के अभाव में स्थगित की हुई बैठक पुनः बुलाये जाने पर कोरम का प्रतिबन्ध न होगा किन्तु यदि विषय पूर्ववत् हो तो विचार कर लिया जायेगा जो सभी को मान्य होगा।
- <u>विषेष</u> : आवश्यकतानुसार विशेष बैठकें क्रमशः साधारण सभा की बैठक, दिन पूर्व सूचना देकर और प्रबन्धकारिणी की बैठक 24 घंटे पूर्व सूचना देकर बुलायी जा सकेगी।
- <u>संस्था का कोष</u> : किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका आहरण सचिव/प्रबन्धक और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

Nisha Goel

- <u>नियम संशोधन</u> : संस्था की नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्द्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन की धारा 12 के अन्तर्गत किया जा सकेगा।
- <u>संस्था में रखे जाने वाले अभिलेख</u> :
    - सदस्यता रजिस्टर
    - कार्यवाही रजिस्टर
    - एजेण्डा रजिस्टर
    - कैशबुक, चैक बुक, पास बुक
    - स्टॉक रजिस्टर, डाक पत्रिका आदि
- <u>संस्था का वर्ष</u> : संस्था का वर्ष वित्तीय वर्ष होगा।
- <u>प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल</u> : प्रबन्धकारिणी का कार्यकाल आजीवन होगा।
- <u>विघटन</u> : यदि संस्था किसी समय अपना कार्य करना बन्द करती है तो ऐसी सभी कार्यान्वित की सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

<u>सत्य प्रतिलिपि</u>

<u>प्रशासन योजना</u>

- नाम : यह योजना गोयल फाउण्डेशन 884, राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़ जिला हापुड़ की प्रशासन योजना कहलाएगी।
- परिभाषाएं : विषय या प्रसंग में कोई प्रतिकूल बात न होने पर इस योजना में
- एक्ट या अधिनियम व बोर्ड का तात्पर्य सी.बी.एस.ई. से है।

Nisha Goel

- संस्था का तात्पर्य गोयल फाउण्डेशन 884 राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़ जिला हापुड़।
- विनिमय का तात्पर्य एक्ट या सी.बी.एस.ई. के अधीन बनाए गए विनियमों से है।
- समिति का तात्पर्य स्कूल की प्रबन्ध समिति से है।
- संस्था की सम्पत्ति का तात्पर्य किसी ऐसी चल अथवा अचल सम्पत्ति से है जो संस्था में निहित हो या उसके प्रयोजनार्थ अलग रखी गयी हो।
- सभा का तात्पर्य विद्यालय की साधारण सभा से है। परन्तु यदि संदर्भ समिति का है तो समिति सदस्य का होगा।
- सदस्य का तात्पर्य साधारण सभा/समिति के सदस्य हैं।
- संस्था का स्थान : गोयल फाउण्डेशन ट्रस्ट, 884 राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़ जिला हापुड़।
- साधारण सभा : संस्था की एक साधारण सभा होगी जिसमें निम्नलिखित प्रकार (श्रेणी) के सदस्य होंगे।
- (अ) <u>संरक्षक सदस्य</u> : जो व्यक्ति संस्था को रु0 5,000/- एक साथ नकद/बैंक ड्राफ्ट आदि के रूप में देगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य कहलायेगा। वह साधारण सभा का आजीवन सदस्य होगा। उसे कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

(ब) <u>आजीवन सदस्य</u> : जो व्यक्ति संस्था को रु0 5,000/- नकद या बैंक ड्राफ्ट के रूप में देगा वह साधारण सभा का आजीवन सदस्य कहलायेगा, और उसे कोई वार्षिक शुल्क नहीं देना होगा।

Nisha Goel

- जो संरक्षक सदस्य तथा आजीवन सदस्य इन संशोधनों के होने तक चल रहे हैं, वह भविष्य में उसी प्रकार चलते रहेंगे। इनमें संस्थापक सदस्य भी शामिल होंगे।
- <u>साधारण सभा की सदस्यता</u> : कोई भी व्यक्ति जो संस्था का शुभचिन्तक हो, चाहे वह कोई भी जाति अथवा धर्म का हो, साधारण सभा का सदस्य हो सकता है। यदि वह पागल न हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो। सदस्यता शुल्क सभा के नाम पर नगद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा। वह बैंक ड्राफ्ट या नगद धन साधारण सभा के दो सदस्यों द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्र सहित किसी भी समिति पदाधिकारी/सदस्य द्वारा प्राप्त कर कोषाध्यक्ष को दिया जायेगा। कोषाध्यक्ष आवेदन पत्र प्रबन्धक को भेजेगा। जो प्रबन्धक, प्रबन्ध समिति की बैठक में विचार हेतु रखेगा। प्रबन्ध समिति यदि किसी को सदस्य बनाना स्वीकार नहीं करती है तो प्रकरण पुनः विचार के लिए साधारण सभा की बैठक में रखा जायेगा। इसी प्रकार प्रबन्ध समिति द्वारा सदस्यता स्वीकार करने पर बैंक ड्राफ्ट या नगद की तिथि से सदस्य माना जायेगा और सदस्यता शुल्क विद्यालय की साधारण सभा के खाते में जमा कर दिया जायेगा, यदि साधारण सभा प्रबन्ध समिति के मद को स्वीकार कर किसी को सदस्य बनाना स्वीकार नहीं करती है तो बैंक ड्राफ्ट या नकद धन उसे वापस कर दिया जायेगा।

Nisha Goel

- अनर्हतायें : कोई भी व्यक्ति अन्यथा अर्ह होने पर ही साधारण सभा का सदस्य होने के लिये अर्नहित (अयोग्य) होगा और यदि वह सदस्य है तो वह सदस्यता से वंचित किया जायेगा। प्रबन्ध समिति की संस्तुति पर साधारण सभा के प्रस्ताव द्वारा यदि :

- यदि वह दुराचरण के कारण राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा से पदच्युत किया गया है।
- वह अनमुक्त दिवालिया न हो।
- वह नैतिक पतन सम्बन्धी किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया हो।
- उसे कोई कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की धारा 109 व 110 के अधीनसद व्यवहार के लिए जमानत देने का आदेश दिया गया हो।
- संस्था की चल या अचल सम्पति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाने का दोषी हो।
- यदि वह प्रबन्ध समिति का सदस्य या पदाधिकारी होकर अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहा है, अथवा संस्था विरोधी कार्यों में लिप्त हो गया हो, अथवा प्रबन्ध समिति के निर्णयों के प्रति अवमानना का दोषी है।
- संस्था का प्रस्तावित कोई धन बकाया हो यदि यह प्रश्न उठे कि समिति को कोई सदस्य या पदाधिकारी इस रूप में बने रहने पर दोषी हो गया है या नहीं तो यह प्रश्न समिति द्वारा निर्णय के लिए अध्यक्ष को सुपुर्द किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
- इस या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था का कोई भी कर्मचारी प्रबन्ध समिति का पदाधिकारी नहीं होगा।

Nisha Goel

- **<u>प्रबन्ध समिति</u>** : संस्था के कार्यों के प्रबन्ध तथा संचालन का अधिकार प्रबन्ध समिति को होगा। यह साधारण सभा के लिये उत्तरदायी होगी। यह समिति एक्त के उपबन्धों, विनियमों तथा सी.बी.एस.ई. के अधिकारियों द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों के अनुसार संस्था को उचित रूप से चलाने के लिये उत्तरदायी होगी। यह समिति साधारण सभा की कार्यकारी समिति भी होगी और उसके पदाधिकारी साधारण सभा के पदाधिकारी भी उसी पदनाम से होंगे।

- **<u>समिति के पदाधिकारी अथवा सदस्य पद की आकस्मिक रिक्ति</u>** :
- समिति के सदस्य या पदाधिकारी के पद की होने वाली आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति समिति द्वारा कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अपने में से कर ली जायेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उस शेष काल के लिये समिति का सदस्य या पदाधिकारी (जैसी भी दशा हो) होगा, जिसके लिये वह व्यक्ति रहना या जिसके स्थान की वह पूर्ति करता।

- किसी भी समिति सदस्य या पदाधिकारी के विरूद्ध गम्भीर कारणों के अविश्वास प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया जा सकेगा।
- प्रबन्ध समिति द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव जब प्रभावी होगा जबकि साधारण सभा भी उसको बहुमत से स्वीकार कर ले। अविश्वास प्रस्ताव पर जो समिति पारित करे, साधारणतया एक मास के अन्दर साधारण सभा विचार कर व ऐसा न करने पर प्रस्ताव निष्प्रभावी होगा।

Nisha Goel

- **<u>सभा एवं समिति की बैठक</u>** : प्रबन्धक, अध्यक्ष के अनुमोदन से जब आवश्यक हो समिति की आवश्यक बैठक बुला सकता है और 4 समिति सदस्यों की लिखित मांग पर (जिसमें विचार के लिए विशिष्ट विषय या संकल्प का उल्लेख होना चाहिये) समिति की आवश्यक बैठक बुलायेगा। यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने की अनुमति न दे तो, या प्रबन्धक बैठक ना बुलाये तो समिति के 6 सदस्य पदाधिकारी जि0वि0नि0 की अनुमति से सामूहिक बैठक बुला सकेंगे। इसी प्रकार साधण सभा की बैठक निरीक्षक के अनुमोदन से सभा के 1/2 सदस्यों द्वारा बुलायी जा सकेगी। यदि उनकी प्रार्थना पर प्रबन्धक/अध्यक्ष बैठक न बुलाये।

- **<u>बैठकों के लिए नोटिस</u>** : समिति की साधारण बैठक के लिए कम से कम सात दिनों का नोटिस और आवश्यक बैठक के लिए कम से कम पांच दिन का नोटिस दिया जायेगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि साधारण बैठक के लिए सात दिन पूर्व और आवश्यक बैठक के लिए 5 दिन पूर्व समिति सदस्य के अन्तिम ज्ञात पते पर डाक अथवा उचित माध्यम द्वारा नोटिस भेजने पर यह समझा जायेगा कि उस सदस्य को यथोचित समय के भीतर पर्याप्त रूप से तामील करा दिया गया है। स्थानीय सदस्यों के एजेण्डा रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराकर सूचना दी जायेगी। नोटिस के साथ कार्य सूची भी होगी, उसमें बैठक का स्थान, तिथि तथा समय भी दिया जायेगा। यदि नोटिस रजिस्टर्ड डाक से नहीं दिया जाता है और एजेण्डे पर हस्ताक्षर नहीं कराये जाते हैं तो समिति सदस्य की पर जांच के उपरान्त निरीक्षक उस बैठक की कार्यवाही को अवैध या वैध घोषित कर सकता है। इसी प्रकार सभा की साधारण सभा के लिए एक मास का तथा आवश्यक बैठक के लिए दस दिन का नोटिस पर्याप्त होगा।

Nisha Goel

• **गणपूर्ति और स्थागनोपरान्त बैठक** : तत्कालीन सदस्यों की एक तिहाई संख्या से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगी। यदि बैठक प्रारम्भ होने के लिए निश्चित समय के पश्चात एक घण्टे तक अपेक्षित गणपूर्ति नहीं होती तो बैठक स्थगित हो जायेगी। स्थगित बैठक फिर उसी दिन या दूसरे दिन ऐसे समय पर हो सकती है, जिसकी घोषणा अध्यक्ष उक्त बैठक की समाप्ति पर करें। ऐसी बैठक के किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक की कार्य सूची में सम्मिलित न हो।

- **साधारण सभा तथा समिति की बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया** : अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करेगा। यदि दोनों ही अनुपस्थित हों तो सदस्य अपने में से एक सभापति निर्वाचित कर सकते हैं।
- बैठक में विचार करने के लिये संकल्प अथवा विशिष्ट प्रस्तावों का प्रालेख कार्य सूची में अध्यक्ष उस कार्यसूची में संशोधन कर सकेगा।
- प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक का कार्यवृत्त पढ़ा जायेगा और उसकी पुष्टि की जायेगी। कार्यवृत्त की शुद्धता के बारे में कोई आपत्ति केवल उसी सदस्य द्वारा की जायेगी जो संबंधित बैठक में उपस्थित रहा हो। आपत्ति का कारण अध्यक्ष/सभापति द्वारा पिछली बैठक में उपस्थित सदस्यों के वाद सुनने के पश्चात् किया जायेगा। कार्यवृत्त की पुष्टि हो जाने पर उसकी शुद्धता पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।
- मतभेद न होने की दशा में निर्णय उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से किया जाएगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी कर्मचारी की सेवाओं के समाप्त करने या स्कूल की अचल सम्पत्ति की जमानत पर वित्तीय दायित्व लेने के प्रस्ताव के लिए कुल सदस्यों के दो तिहाई का होना आवश्यक है।

Nisha goel

- कोई भी कार्यवाही इसी आधार पर अवैध न होगी कि उस समय सभा या समिति में कोई रिक्ति थी।
- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अन्त में उपस्थिति के हस्ताक्षर होंगे। कार्यवाही की फोटोस्टेट कॉपी निरीक्षक तथा मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को तीन दिन में सभापति द्वारा भेजी जायेगी।
  - <u>**समिति के अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य**</u> : समिति के अधिकार, कर्त्तव्य तथा कृत्य (जहाँ) तक विनियमों से असंगत न हो, निम्नलिखित होंगे –
  - बजट पर विचार करना और उसे स्वीकृत करना।
  - शिक्षक प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य प्रत्येक के चयन के लिये अधिनियम एवं विनियमों के अनुसार कार्यवाही करना।
  - एक्ट तथा विनियमों के उपबन्धों के अनुसार, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षक, लिपिक या पुस्तकालय लिपिक की नियुक्ति स्थायीकरण पदोन्नति, दक्षता रोक को पार करने की अनुमति, निलम्बन तथा दण्ड जिसमें हटाया जाना है और पदच्युति भी सम्मिलित है, प्रस्तावित करना तथा देना आदि–आदि, प्रधान अध्यापकों के स्थानान्तरण पर विचार–विमर्श कर प्रस्तावित करना।
  - संस्था के प्रबन्धक द्वारा कर्मचारियों की चरित्रावलियों में की गई प्रविष्टियों के विरूद्ध अपीलों का निर्णय करना।
  - संस्था के कर्मचारियों की छुट्टियों की स्वीकृति देना, ऐसी छुट्टी को छोड़कर जिसे स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य में निहित हो।

Nisha yad

- छात्र निधियों (सिक्योरिटी) को छोड़कर संस्था की सभी प्रकार की धनराशियों, प्रतिभूतियों, सम्पत्ति तथा निबन्धों (एडाउमेंटस) का नियंत्रण तथा प्रबन्ध और उनकी निरापद अभिरक्षता उनके लाभार्थ लगाए जाने वाले (एनवेस्टमेंट) मरम्मत, अनुरक्षण तथा विधिक रक्षा के निमित्त आवश्यक कार्यवाही करना।
- सरकार से प्राप्त विकास डवलपमेंट अनुदानों आदि तथा प्रतिभूतियों (रीइम्बर्समैन्टस) के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करना।
- वृत्तिकाओं (स्टाईफण्डस) छात्रवृत्तियों तथा छात्र निधियों को छोड़कर संस्था की सभी प्रकार ककी आय, अंश, उपहार, गिफ्ट्स) लाभांश (डिवीडेन्टस) द्वारा अनुदान आदि को प्राप्त करना और उसके कर्त्तव्यों तथा कृत्य से अभिभूत वित्तीय आभारों का निर्वाह करना।
- <u>बजट</u> : एक अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी 31 मार्च तक के प्रत्येक वर्ष के लिये वार्षिक बजट प्रस्ताव प्रबन्धक द्वारा तैयार किये जायेंगे और प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी से पूर्व अध्यक्ष को प्रस्तुत किये जायेंगे। समिति बजट को आगामी वर्ष के आरम्भ होने के कम से कम 30 दिन पहले पास करेंगे।
- <u>पदाधिकारियों के अधिकार और कर्त्तव्य</u> : पदाधिकारियों के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे–

अध्यक्ष :

(क) बैठकों की अध्यक्षता करना।

(ख) बैठक करने के लिये दिनांकों का अनुमोदन करना उनमें परिवर्तन करना और बैठक स्थगित करना तथा एजेण्डा में संशोधन करना।

Nisha goel

(ग) इस बात की देखभाल करना कि यह प्रशासन योजना समस्त संबंधित व्यक्तियों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वित की जाये।

(घ) संस्था से संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्था की चल व अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण तथा समस्त विलेखों तथा लेखों पर प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

(ङ) समिति की स्वीकृति की दशा में अधिक से अधिक 200/- (दो सौ रुपये) तक की धनराशि व्यय करना।

(च) आपत्तिक स्थितियां में जब कोई बैठक बुलाई न जा सके तो समिति की ओर से प्रबन्धक के सहयोग से उस सीमा तक कार्य करना जिस सीमा तक उसे समिति के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना तत्काल समिति को देना।

(छ) ऐसे अन्य अधिकारों का उपयोग करना और अपने कर्तव्यान करना जो इस योजना द्वारा प्रचलित की थी नियम अथवा विधि द्वारा उसे दिये गये हैं।

- **प्रबन्धक** –

(क) संस्था के लिए समस्त अनुदान, दान तथा अन्य धन प्राप्त करना और उनके लिये यथाविधि रसीद देना।

(ख) समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त प्रकार की सम्पत्तियों तथा धनराशियों (छात्रवृत्तियों को छोड़कर) की सुरक्षा व परिरक्षा तथा विनियोजन (इन्वेस्टमेंट) का प्रबन्ध करना। वह उसी सम्पत्ति तथा धनराशियों के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(ग) नियमों तथा स्वीकृति की शर्तों के अधीन रहते हुए बजट में की गई व्यवस्था के भीतर संस्था के वित्त का प्रशासन तथा नियंत्रण रखना।

Nisha goel

(घ) कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संस्था के समस्त लेखों को संचालित करना और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा का प्रबन्ध करना।

(ङ) संस्था के कर्मचारियों के वेतनों, समिति का प्रस्ताव कराके वेतन वृद्धियों तथा देय कार्यालयों का भुगतान स्वीकृत करना और जब कोषाध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यय में से अन्य सेवाओं तथा सामग्री के लिये भुगतान स्वीकृत करना। अध्यापिकाओं, कर्मचारियों की नियुक्ति अधिनियमों/विनियमों के अनुसार विभागीय निर्देशों के अनुरूप नियमित करने का दायित्व भी प्रबन्धक का होगा। यदि विभाग द्वारा किसी नियुक्ति, पदोन्नति को नियमों के विरूद्ध अमान्य किया जाता है तो तदानुसार कार्यवाही न किये जाने की स्थिति में कोई भुगतान निजी रूप से देने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

(च) संस्था से सम्बन्धित समस्त अनुबन्धों तथा संस्था की अचल सम्पत्तियों से संबंधित विधिक हस्ताक्षरण संविदों के समस्त विलेखों तथा अन्य लेखों पर अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

(छ) वार्षिक बजट प्रस्तावित तैयार करना और समिति/सभा के समक्ष रखे जाने के लिये उन्हें अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।

(ज) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करना।

(झ) संस्था से संबंधित मामलों को समिति संस्था तथा सभा की समस्त कानूनी कार्यवाहियों में प्रतिनिधित्व करना और इन कार्यवाहियों तथा मामलों में उनकी ओर से अधिकथनों (प्लीडिंग) पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें सत्यापिक करना।

(ट) उस दशा को छोड़कर जब प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य में ऐसा अधिकार निहित हो, समिति द्वारा अधिकृत सीमा तक संस्था के कर्मचारियों की छुट्टी स्वीकृत करना।

(ठ) समिति को स्वीकृति की अवस्था में अधिक रुपये तक की धनराशि व्यय करना।

Nisha Goel

(ग) इस बात की देखभाल करना कि यह प्रशासन योजना समस्त संबंधित व्यक्तियों द्वारा निष्ठा के साथ कार्यान्वित की जाये।

(घ) संस्था से संबंधित समस्त अनुबन्धों तथा संस्था की चल व अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण तथा समस्त विलेखों तथा लेखों पर प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से हस्ताक्षर करना।

(ङ) समिति की स्वीकृति की दशा में अधिक से अधिक 200/– (दो सौ रुपये) तक की धनराशि व्यय करना।

(च) आपत्तिक स्थितियां में जब कोई बैठक बुलाई न जा सके तो समिति की ओर से प्रबन्धक के सहयोग से उस सीमा तक कार्य करना जिस सीमा तक उसे समिति के संकल्प द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया गया हो और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना तत्काल समिति को देना।

(छ) ऐसे अन्य अधिकारों का उपयोग करना और अपने कर्तव्यान करना जो इस योजना द्वारा प्रचलित की थी नियम अथवा विधि द्वारा उसे दिये गये हैं।

- प्रबन्धक –

(क) संस्था के लिए समस्त अनुदान, दान तथा अन्य धन प्राप्त करना और उनके लिये यथाविधि रसीद देना।

(ख) समिति के निर्देशों के अधीन रहते हुए संस्था की समस्त प्रकार की सम्पत्तियों तथा धनराशियों (छात्रवृत्तियों को छोड़कर) की सुरक्षा व परिरक्षा तथा विनियोजन (इन्वेस्टमेंट) का प्रबन्ध करना। वह उसी सम्पत्ति तथा धनराशियों के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(ग) नियमों तथा स्वीकृति की शर्तों के अधीन रहते हुए बजट में की गई व्यवस्था के भीतर संस्था के वित्त का प्रशासन तथा नियंत्रण रखना।

Nisha Goel

(ड) यदि समिति ने तदर्थ अवकाश दिया हो तो अध्यक्ष की सहमति से किसी शिक्षक, लिपिक पुस्तकालय लिपिक की जांच तथा समिति का अन्तिम आदेश होने तक के लिये विनियमों के अनुसार निलम्बित करना तथा की गई कार्यवाही की सूचना समिति को देना।

(ढ) एक ओर समिति तथा दूसरी ओर प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के माध्यम से संस्था के कर्मचारी वर्ग, शिक्षा विभाग तथा बोर्ड के बीच पत्र व्यवहार के सामान्य माध्यम के रूप में कार्य करना।

(ध) समिति तथा सभी के निर्णयों के कार्यान्वित करने के लिये उसके मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

(थ) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस योजना द्वारा या तत्समय प्रचलित किसी नियम तथा विनियम द्वारा उसे दिये गये हों या उस पर रोपित किये गये हों।

कोषाध्यक्ष – (क) संस्था की समस्त धनराशियों या निधियों के लेखे रखना।

(ख) प्रबन्धक के साथ संयुक्त रूप से संस्था के सभी लेखों को संचालित करना।

(ग) प्राधिकृत व्यय के लिये प्रयोग की जाने वाली धनराशियों की सिफारिश प्रबन्धक से करना।

(घ) सदस्यता हेतु नकद बैंक प्राप्त कर प्रबन्धक को भेजना तथा सदस्यता स्वीकार होने पर विद्यालय खाते में जमा करवाना। सदस्यता स्वीकार न होने की दशा में ड्राफ्ट या नकद की धनराशि व्यक्तियों को लौटाना, सदस्यता से प्राप्त समस्त आय तथा साधारण सभा की समस्त आय मैन्टीनैंस खाते में जमा होगी।

Nisha Goel

(ङ) प्राधिकृत लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण के लिये सभी लेखे रजिस्टर प्रमाणिक (वाउचर), रसीदें तथा अन्य पत्र जो लेखा परीक्षण के लिये आवश्यक हो प्रस्तुत करना।

(च) आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ उसे प्रबन्धक को प्रस्तुत करना।

(छ) संस्था की निधियों (छात्रवृत्तियों को छोड़कर) का सामान्य पर्यवेक्षण करना और समिति/सभा की वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देना।

(ज) अध्यक्ष/प्रबन्धक की अनुमति से संस्था के लेखों की जांच अर्द्धलेखा परीक्षक से कराना।

- <u>संस्था की निधियों और सम्पत्ति</u> :
- नकद या सरकारी प्रतिभूतियों अथवा जमींदारी विनाश बन्धों के रूप में निबन्ध निधि (एन्डाउमेंट फण्ड) तथा रक्षित निधि स्टेट बैंक या डाकघर बचत बैंक में प्रबन्धक तथा सम्बद्ध निरीक्षक के पदनाम में संयुक्त रूप से ऑडिट प्लेड रखी जायेगी।
- संस्था की अन्य निधियाँ किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में जमा की जायेगी। विनियोजन के लिये पृथक रखी हुई धनराशि में राष्ट्रीय बचत पत्र (नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट) अथवा परम प्रतिभूतियों मिन्टर सिक्योरिटी) में लगाई जायेगी।

Nisha Goel

- सभा के समस्त सदस्यों की लिखित प्रार्थना पर उनके द्वारा प्राधिकृत कोई सदस्य संस्था के लेखों को देख सकेगा और प्रबन्धक एक सप्ताह का लिखित नोटिस प्राप्त होने पर अपने समक्ष या अपने द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष लेखे देखने की अनुमति अध्यक्ष की जानकारी में देगा।
- यथाविधि नियुक्त कोई भी अर्हलेखा परीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार संस्था के लेखों की परीक्षा करेगा और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति संस्था के आय तथा व्यय विवरण के साथ लगा दी जायेगी।
- संस्था के परीक्षित लेखे और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन समिति/सभा की अगली बैठक के समक्ष आवश्यक कार्यवाही के लिये रखे जायेंगे। यदि कोई सदस्य तथा पदाधिकारी संस्था की निधियों या सम्पति का दुरूपयोग करता है ओर यह बात लेखा परीक्षा में पुष्टि होती है तो प्रबन्धक उसके विरूद्ध एफ0आई0आर0 लिखायेगा तथा सम्पत्ति या निधि की प्रतिपूर्ति उस सदस्य या पदाधिकारी की निजी सम्पत्ति से की जायेगी। यदि अध्यक्ष एफ0आई0आर0 न लिखाने तो यह अध्यक्ष की कर्त्तव्यहीनता समझी जायेगी और कोई भी तीन सदस्य एफ0आई0आर0 लिखायेंगे। इस कारण इनके विरूद्ध समिति अविश्वास तीनों सदस्यों द्वारा लाया जा सकेगा।
- जब कोई व्यक्ति पदाधिकारी या समिति सदस्य चुने जाने के पश्चात् कार्यरत होगा जो कि व्यक्ति एक स्टाम्प पेपर पर अंकित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें ताकि वह अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करेगा तथा यदि संस्था की सम्पत्ति या निधि का दुरूपयोग करे लेखा परीक्षण में उनका हक पाया गया तो वह उसकी क्षतिपूर्ति अपनी निजी से करने के लिए बाध्य होगा।

Nisha goel

- **<u>कर्मचारी वर्ग द्वारा सपारिश्रमिक कार्य अथवा शोध कार्य</u>** –

<u>सपारिश्रमिक कार्य</u> :

जो सी.बी.एस.ई. निकायों की परीक्षाओं से सम्बद्ध कार्यों से भिन्न हो। स्वीकार करने या शोध कार्य करने के लिये प्रार्थना पत्र पर योग्यता के आधार पर निर्णय शिक्षकों के विषयों में प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के विषय में प्रबन्धक करेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उस कार्य में लगने वाले प्रस्तावित समय से उस व्यक्ति के नामस्य कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्वक पालन करने में कोई कमी न आने पाये और यदि इस विषय में शिक्षा निदेशक के कोई अनुदेश हों तो प्रार्थना पत्र उसके अनुसार हो।

- **<u>अधिकार तथा कर्त्तव्य का प्रयोग और निर्वाहन</u>** : समिति पदाधिकारियों और प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य अपने अधिकारों को प्रयोग करें तथा कर्त्तव्यों का निर्वाहन एक्ट विनियमों और शिक्षा संहिता के उपबन्ध तथा समय–समय पर शिक्षा विभाग के प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये अनुदेशों के अधीन रखते हुए करेंगे।

- **<u>सदस्यता तथा पदों से सम्बद्ध विवादों का निर्णय</u>** :
- यदि विवाद उठे कि कोई व्यक्ति यथाविधि त्रिवार्षिक चुनाव में या उसके पश्चात् सदस्य का अधिकारी चुना गया है या नहीं तो वह निर्णय के लिये मध्या का अभिर्दिष्ट किया जायेगा और इस विषय में उनका निर्णय करना होगा।
- यथास्थिति अध्यूक्ष या प्रबन्धक आदेश दे सकता है कि विवादों के विचाराधीन होने की स्थिति में कौन विवादास्पद पद से संबंध अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों (कृत्यों) का निर्वाहन करेगा।

Nisha Goel

- यदि विवाद संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में अर्थात् (सम्पूर्ण प्रबन्धक समिति के सम्बन्ध में उठे अर्थात् दो या अधिक प्रबन्ध समितियाँ विद्यालय के प्रबन्ध का दावा करें तो प्रकरण निरीक्षक द्वारा संभागीय मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिनियम द्वारा की धारा 16क(7) के अनुसार निर्णय हेतु अभिर्दिष्ट किया जायेगा।

- <u>उल्लंघन करने या बाधा डालने के लिये अर्थदण्ड</u> :

- समिति या सभा का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी किसी व्यक्ति के इस योजना में अपने अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने में किसी प्रकार की बाधा न डालेगा।
- किसी ऐसे सदस्य को जो इस योजना के किन्हीं उपबन्धों का जानबूझ कर उल्लंघन कर सभा अर्थदण्ड से भी दंडित कर सकेगी। यह अर्थदण्ड प्रत्येक उल्लंघन के लिये या प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसमें उल्लंघनकारी रहे दण्डनीय सदस्य को रु0 50/– तक दण्ड दे सकते हैं।
- समिति उस व्यक्ति को किसी के बारे में यह कहा जाये कि उसने कोई उल्लंघन किया है सफाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर उक्त अर्थदण्ड आरोपित कर सकेगी। इस प्रकार दंडित सभी मामलों का साधारण सभा में पास के अन्दर पुनः अवलोकन करेगी या तो उसे पुश्ट करें, दंडित करेगी या दंड को घटा–बढ़ा सकेगी। साधारण सभा का निर्णय अंतिम होगा।

Nisha goel

- <u>संस्था के कर्मचारी</u> :
- एक्ट के उपबन्धों और अपने उपबन्धों का रहते हुए प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य लिपिक पत्र पुस्तकालय लिपिक की सभी नियुक्तियाँ विभागीय निर्देशानुसार निबंध पत्र जारी कर की जायेगी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियाँ प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा की जायेगी।
- संस्था के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें एक्ट तथा विनियमों द्वारा और यदि कोई सेवा का संविदा हो तो उसकी शर्तों द्वारा जहाँ तक वे एक्ट तथा विनियमों के संगत हो, शामिल होगी।
- <u>असंगत उपबन्ध</u> : संस्था के लिये इस योजना के उपबन्ध मान्य होंगे। रजिस्ट्रार, सोसायटीज तथा चिट्स एण्ड फण्डस को प्रस्तुत कोई भी नियम विद्यालय की साधारण सभा तथा समिति पर या सभा पर लागू न होगा।

Nisha Goel

विभाग/शासन के निम्नलिखित प्रतिबन्ध विद्यालय को स्वीकार है:-

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप मे नामित किया जायेगा।

(ग) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राजय सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी और यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई ल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

(च) कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो मे कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जा रही है तथा भविष्य मे भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओ मे रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ मे कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धो को सोसाइटी के बाइलॉज मे सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

Nisha Goel

- **<u>प्रशासन योजना में परिवर्तन</u>** :_शिक्षा निदेशक या इस संशय में इसके द्वारा यथाविधि प्राधिकृत अधिकारी को इस प्रशासन योजना में संशोधन का अधिकार शिक्षा अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा तथा बिना सक्षम अधिकारी के पूर्वानुमोदन के कोई संशोधन प्रभावी नहीं होगा।

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ट्रस्टीगण ने अपने हस्ताक्षर किये है।

Nisha Goel

गवाह निष्ठा गोयल पुत्री श्री अरूण कुमार गोयल

निवासी 883, राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड मो0 9058516763

गवाह आयुष गोयल पुत्र श्री अरूण कुमार गोयल

निवासी 883, राजेन्द्र नगर रेलवे रोड हापुड मो0 7417357717

दिनांक 21–05–2020

हर्ष त्यागी
बैनामा लेखक तहसील हापुड़

21/05/2020

आवेदन सं०: 202000740005827

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 69 के पृष्ठ 77 से 140 तक क्रमांक 20 पर
दिनाँक 22/05/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश प्रताप सिंह
उप निबंधक : हापुड़ 2
हापुड़
22/05/2020

प्रिंट करें

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP86913401948312V

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP86913401948312V
Certificate Issued Date	:	30-Nov-2023 05:20 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14071104/ HAPUR SADAR/ UP-HPU
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14071104695478118636 32V
Purchased by	:	Goel Foundation Trust by Smt Nisha Goel
Description of Document	:	Article 34A Instrument Correcting a purely Clerical Error
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Goel Foundation Trust by Smt Nisha Goel
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	Goel Foundation Trust by Smt Nisha Goel
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,000 (One Thousand only)

प्रदीप त्यागी
(स्टाम्प विक्रेता)
ला0 सं0 न0-61/2013
तहसील कम्पाउंड हापुड़

Please write or type below this line

Nisha Goel

RD 0014641685

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

AMIT SHARMA
M.Com LLB Advocate
Registry Compound
HAPUR (U.P)

संशोधित न्यास पत्र (ट्रस्ट डीड) / पूरक विलेख

स्टाम्प शुल्क : 1,000 / – रूपये

E-Stamp No IN-UP86913401948312V दिनांक 30–11–2023

1. संस्था का नाम : गोयल फाउण्डेशन
2. संस्था का पता : 884, राजेन्द्र नगर, रेलवे रोड, हापुड़
3. कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

विदित हो कि मैं श्रीमती निशा गोयल पुत्री श्री दुली चन्द सांधी निवासी 884, राजेन्द्रनगर हापुड तहसील व जिला हापुड ने दिनांक 22–05–2020 को एक ट्रस्ट डीड निष्पादित कर ट्रस्ट गोयल फाउण्डेशन धनराशि अंकन 10,000 / – रूपये से स्थापित किया था। उक्त ट्रस्ट विलेख की रजिस्ट्री दिनांक 22–05–2020 बही संख्या 4 जिल्द 69 के पृष्ठ 77 / 140 दस्तावेज नम्बर 20 के द्वारा किया था। उक्त ट्रस्ट डीड मे लिखे कार्य व उददेश्य पूर्व की भॉति लागू रहेगे। उक्त ट्रस्ट के कार्य एवं उददेश्य के पश्चात प्रतिबन्धे की बाध्यता और बढाई जाती है जो निम्नवत है।

विभाग / शासन के निम्नलिखित प्रतिबन्ध विद्यालय को स्वीकार है:–

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय की प्रबन्ध समिति मे राज्य सरकार के जिला स्तर के किसी अधिकारी को संस्था द्वारा सदस्य के रूप मे नामित किया जायेगा।

Nisha Goel

(ग) विद्यालय मे कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो मे विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राजय सरकार से कोई अनुदान की मांग नही की जायेगी ओर यदि पूर्व मे विद्यालय माध्यमिक परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्वता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउसिंल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, नई ल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदो से सम्बद्वता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ड) संस्था के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्तो से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे।

(च) कर्मचारियो की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो मे कर्मचारियो को अनुमन्य सेवानिवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उसका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय मे हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढाई जा रही है तथा भविष्य मे भी हिन्दी अनिवार्य रूप से पढाई जायेगी।

Nisha Goel

(झ) विद्यालय का रिकार्ड प्रपत्र/पंजिकाओ मे रखा जायेगा।

(ञ) उपर्युक्त क्रम क से झ मे कोई परिवर्तन/संशोधन बिना शासन एवं विभाग की अनुमति के नही दिया जायेगा।

(ट) उपर्युक्त क्रम क से ज तक के प्रतिबन्धो को सोसाइटी के बाइलॉज मे सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

अतः प्रलेख सोच समझकर ट्रस्ट के उददेश्यो के अनुरूप आज दिनांक 30–11–2023 ई0 को निष्पादित कराया जा रहा है उक्त विलेख का मसौदा पक्षकार द्वारा दिये गये निर्देश व बताये गये विवरण के आधार पर तैयार किया है जिसे विलेख के पक्षकारो ने पढकर व समझकर अपने हस्ताक्षर किये है और गवाहो ने विलेख के पक्षकारो की शिनाखत की है जिसके आधार पर फोटो सत्यापित किये गये यदि कोई कथन असत्य पाया गया तो उसका समस्त दायित्व व जिम्मेदारी विलेख के पक्षकारो की ही होगी इति।

Nisha Goel

ह. गवाह श्रीमती तनु गोयल पत्नी श्री वैभव गोयल Tanu
निवासी 884, राजेन्द्रनगर रेलवे रोड हापुड मो. 9997010102

ह. गवाह श्रीमती रेशु गोयल पत्नी श्री पंकज गोयल Reshu
निवासी एक्स 12बी, मेघदूतम अर्पामेन्ट, सेक्टर–50, नोएडा मो. 9205349053

दिनांक 30–11–2023

AMIT SHARMA
M.Com, LLB Advocate
Registry Compound
HAPUR (U.P.)